राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर

दूरभाष–0141–2822800 ई–मेलः director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

क्रमांकः एफ.10(263)सा.भ. / पवि / 2025 / दिनांकः 2-फरवरी-मार्च

बोली संख्या– 249

विभाग में निम्नानुसार दो वर्ष की दर संविदा हेतु बोलियों के इच्छुक / अनुभवी बोलीदाताओं से मुहरबन्द लिफाफे में बोली आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	निविदा का विवरण	अनुमानित लागत (वार्षिक) (मय GST)	निविदा प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि (2 प्रतिशत) (MSME/Ragular/SSI)	निविदा जारी किये जाने की तिथि	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि
1	डिजीटल फोटो स्टेट मशीन मय आपरेटर किराये पर स्थापित किये जाने हेतु	4.90 लाख (प्रतिवर्ष)	500	19600	24.02.2025	05.03.2025 1.00 PM	05.03.2025 3.00 PM

नोट :–

1. लिफाफों में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक–पृथक लिफाफों में रखकर सील बन्द कर एक साथ जमा कराने होंगें। बिड के साथ निर्धारित शुल्को से सम्बन्धित रसीद / बैंकर्स चैक / डी0डी0 (आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम से देय) प्रस्तुत नहीं किए जाने पर बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. वित्तीय बिड निर्धारित BOQ में भरी जानी है।
3. बोली दस्तावेज प्रपत्र एवं शर्ते विभागीय वेबसाइट "www.tourism.rajasthan.gov.in" एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी व डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट पर डाउनलोड किये गये प्रत्येक प्रपत्र की कीमत रुपये 500/– बोलीदाता द्वारा पृथक से बोली अमानत राशि रूपये 19600/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद जैसा भी हो, जमा कराना होगा।
4. दर प्रस्ताव संबंधित कार्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में अंको व शब्दों में प्रस्तुत किये जावें।
5. बिना बोली प्रतिभूति राशि के प्राप्त तथा सशर्त निविदाएं स्वीकार्य नही होगी।
6. उक्त सेवाएं त्वरित गति से वांछनीय है। अतः वे ही फर्में दरे प्रस्तुत करे जिनके पास सेवाएं प्रदाय संबंधित पूर्ण साधन उपलब्ध हो।
7. निविदा में अंकित दरें 90 दिन तक मान्य होगी।
8. फर्म का कार्यालय जयेपुर में स्थित होना चाहिए।
9. फर्म को भारत सरकार, भारत सरकार के उपक्रमों, राज्य सरकार और राज्य सरकार के उपक्रमों में से किसी भी विभाग / उपक्रम द्वारा Black List नहीं किया हुआ होना चाहिए।

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

VSC/Data F/Tender 2024/

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

क्रमांकः एफ.10(263)सा.भ. / पवि / 2025 / दिनांकः ई-हस्ताक्षर अनुसार

बोली संख्या– 249

डिजीटल फोटो स्टेट मशीन मय आपरेटर किराये पर स्थापित किये जाने हेतु।

क्र. सं.	विवरण	
1.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता	
2.	निविदादाता का दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर	
3.	संदर्भ बोली सूचना क्रमांकः एफ. 10(263) / सा.भ. / पवि / 2025 / .... दिनांक ई-हस्ताक्षर अनुसार	
4.	किसको सम्बोधित किया गया हैः–	आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर
5.	निविदा शुल्क राशि	रूपये 500 / – (अक्षरे रूपये पाँच सौ मात्र) नकद रसीद / डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या ––––––– दिनांक –––––– संलग्न आयुक्त, पर्यटन विभाग के नाम से प्रेषित है।
6.	निविदा धरोहर राशि (2 प्रतिशत)	रूपये 19600 / – (अक्षरे रूपये उन्नीस हजार छः सौ मात्र) नकद रसीद / डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या .... दिनांक.................संलग्न आयुक्त, पर्यटन विभाग के नाम से प्रेषित है।
7.	GST/Service Tax Cleareance Certificate का विवरण	
8.	Annual Turn Over-Rs. 10 Lakhs per Annum	2021-22:
	Annual Average Turn Over (Last three Financial Years)	2022-23: 2023-24:
9.	PAN नम्बर	
10.	यदि निविदादाता लघु उद्योग में कोई इकाई है तो अधिकृत विभाग को प्रमाण पत्र सलंग्न करें	
11.	इपीएफ पंजीकरण वर्ष व दिनांक	
12.	अनुबंधित फर्म पंजीकरण क्रमांक दिनांक	
13.	बोली दाता राजस्थान की किसी भी संख्या में Blacklisted नहीं का स्वघ ोषणा पत्र	

मैंने पर्यटन विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा जारी की गई प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तें को स्वीकार करने साक्ष्य के रूप में मैंने / हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हें मै / हम मानने के लिए बाध्य हूँ।

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation: Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

हस्ताक्षर बोली दाता मय सील

VSC/Data F/Tender 2024/

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेलः director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

क्रमांकः एफ.10(263)सा.भ. / पवि / 2025 / दिनांकः ई-हस्ताक्षर अनुसार

निविदा प्रपत्र– 249

डिजीटल फोटो स्टेट मशीन मय ऑपरेटर किराये पर विभाग में स्थापित करने बाबत

1. निविदादाता का नाम एवं पत्राचार का स्थायी पताः --
2. निविदादाता का दूरभाष संख्या--------------- मोबाईल सं. -------------------------
3. निमित्त :– आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निविदा सूचना संख्या .... दिनांक / /2025
5. निविदा फार्म शुल्क की राशि रू0 500/– नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या-------- दिनांक ---------- के द्वारा जमा कराई जा चुकी है।
6. बोली प्रतिभूति राशि के निमित रूपये 19600/– (अक्षरे रूपये उन्नीस हजार छः सौ मात्र) नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक संख्या -------------- दिनांक ----------- संलग्न है ।
7. निविदा में दी गई दरें कार्यादेश की तिथि से दो वर्ष के लिये मान्य होंगी ।
8. फोटो स्टेट की दरें निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	कागज की साईज	दर प्रति कॉपी समस्त कर एवं व्यय सहित
1.	ए–4 साईज (एक तरफ)	
2.	ए–4 साईज (दोनो तरफ)	
3.	एफ–एस साईज (एक तरफ)	
4.	एफ–एस साईज (दोनो तरफ)	
5.	ए–3 साईज (एक तरफ)	
6.	ए–3 साईज (दोनो तरफ)	
7.	स्पायरल बाईण्डिंग ए–4 (100 पेज)	
8.	स्पायरल बाईण्डिंग एफ–एस /बुक बाईण्डिंग(100 पेज)	
9.	कलर फोटो कॉपी, साईज–ए–4	
10.	कलर फोटो कॉपी, साईज–ए–3	
11.	कलर फोटो कॉपी, साईज–एफ–एस	
12.	कलर प्रिन्ट आउट	
13.	ब्लेक प्रिन्ट आउट	
14.	लेमिनेशन	

9. दरें सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित करके दी जानी है।
10. अंकित दरों में मशीन पर मशीनमैन की सुविधा एवं मशीनों का रख–रखाव, [illegible]ज एवं अन्य कन्जूमेबिल सम्मिलित होगा। इसके लिये अलग से कोई भुगतान [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

11. विभाग मशीन स्थापित करने हेतु केवल स्थान एवं विद्युत की सुविधा के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।
12. निविदादाता द्वारा नवीनतम मॉडल की ब्लेक एण्ड व्हाईट फोटो स्टेट मशीन, कलर फोटो स्टेट मशीन, लेमिनेशन मशीन एवं स्पाईरल बाईडिंग मशीन विभाग में स्थापित की जावेगी। जो एक वर्ष से अधिक पुरानी नही होनी चाहिए।
13. पैन ड्राईव से प्रिन्ट निकालना होगा।
14. जी.एस.टी./बिक्री कर चुकता प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न है।
15. आयकर स्थाई लेखा संख्या (पैन नं.) संलग्न है।
16. निविदादाता, आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या --249---- दिनांकः--------- में वर्णित सभी शर्तों व निविदा फार्म एवं संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

VSC/Data F/Tender 2024/

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेलः director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

<u>पर्यटन विभाग द्वारा फोटो स्टेट मशीन किराये पर लिये जाने बाबत अनुबन्धित करने सम्बन्धी शर्ते :–</u>

1. विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित निविदा पत्र में पूर्ण रूप से भरी गई निविदा निर्धारित दिनांक तक ही स्वीकार की जावेगी । आंशिक रूप से भरे हुए निविदा फार्म संशोधन के साथ निविदा प्रपत्र एवं सशर्त निविदा प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे एवं निरस्त कर दिये जाएगे।
2. निविदा में किसी प्रकार की कटिगं/ओवरराईटिगं नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कटिगं हो तो दरों का स्पष्ट उल्लेख करें, कटिगं एवं ओवरराईटिगं पर लघु हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति मे शब्दो मे लिखी दरे ही स्वीकार्य होगी।
3. निविदा देने वाली फर्म की निम्न सूचना टेण्डर फार्म के साथ पृथक से संलग्न की जावें:–
   (अ) यदि एक स्वामित्व की है तो स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता ।
   (ब) यदि भागीदारी का है, भागीदारी– डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र तथा सभी भागीदारों के पूर्ण नाम एवं पते।
   (स) यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन तथा सभी डाईरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
4. अंकित दरों में मशीन पर मशीनमैन की सुविधा एवं मशीनों का रख–रखाव व कागज की लागत सम्मिलित होगी। इसके लिये अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
5. आयकर के संबंध में स्थाई लेखा संख्या व वाणिज्य कर विभाग का कर चुकता प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जावेगा।
6. निविदा के साथ फर्म के लाभ के लिए यदि जानबूझकर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं ऐसी निविदा को आयुक्त, पर्यटन विभाग किसी भी स्तर पर/समय पर निरस्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
7. निविदा फार्म में अंकित दस्तावेज विभाग के मांगे जाने पर मूल रूप से प्रस्तुत करने होगें ।
8. आयुक्त, पर्यटन विभाग समस्त/किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताएं निरस्त करने को अधिकृत होंगे।
9. विभाग द्वारा मात्र न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, निविदा का चयन दर व गुणवत्ता दोनो के आधार पर किया जायेगा एवं ऐसा करने पर विभाग किसी भी निविदादाता को कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
10. निविदा स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबन्ध की पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
11. विभाग के पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। फर्म के दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही का पूर्ण अधिकार आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को होगा एवं दर संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
12. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में कार्यादेश जारी होने की तिथि से दस दिवस में निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में करार निष्पादित करना होगा एवं कुल कार्य की राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करवानी होगी। प्रतिभूति रोकड़, बैंक ड्राफ्ट, स्थाई जमा रसीद, पोस्ट ऑफिस जमा, बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदादाता की बयाना राशि के रूप में जमा राशि को प्रतिभूति की राशि में समायोजित कर लिया जावेगा।

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

VSC/Data F/Tender 2024/

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

13. निविदा के साथ निविदादाता को निविदा सूचना के अनुसार अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत बयाना राशि के रूप में जमा करानी होगी इस हेतु केश रिसिप्ट/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम से हो, संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
   (1) असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि लिखित आवेदन करने पर अविलम्ब लौटा दी जायेगी।
   (2) बयाना राशि पर कोई ब्याज किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा। निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाने अथवा फोटो स्टेट मशीनें उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. निविदादाता निविदा स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/हिस्से या सम्पूर्ण कार्य को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
15. RTTP एक्ट 2012 धारा 42 (घ) के अनुसार सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित, कार्यसंपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है, वह, बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध अवलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रूपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का सकेगा।
16. RTTP नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा करवाये जाने की स्थिति में बोली प्रतिभूति बोली की मूल या बढ़ाई गयी विधिमान्यता की कालावधि से 30 दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।
17. RTTP एक्ट 2012 धारा 46 (4) के अनुसार जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्यसंपादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्थान द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
18. स्वीकृत निविदादाता अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वयं के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों एवं कार्यो के दौरान उत्पन्न जोखिम एवं हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। पर्यटन विभाग का इस बारे में किसी भी स्तर पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
19. किसी भी मशीन पर बालश्रमिकों को नहीं लगाया जावेगा। यदि कार्य करते समय मशीन ऑपरेटर मशीन से दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है या उसके कर्मचारियों को चोट लग जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा, परन्तु इसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा 24 घन्टे में विभाग को देनी होगी।
20. सफल निविदादाता को अनुबन्ध पत्र एवं निर्धारित प्रतिभूति राशि दस दिवस में विभाग को प्रस्तुत करनी होगी एवं विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने से दस दिवस में सभी मशीने (ब्लेक एण्ड व्हाईट फोटो स्टेट मशीन, कलर फोटो स्टेट मशीन, लेमिनेशन मशीन एवं स्पाईरल बाईडिंग मशीन) विभाग स्थापित करनी होगी।
21. अनुबन्धित मशीने हर कार्य दिवस में सामान्यतया प्रातः 9.15 बजे से सांय 6.30 बजे तक कार्यरत रहेगी। विभाग में कार्य होने पर समय से पूर्व व समय के पश्चात भी [illegible] जा सकता है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

22. निविदादाता द्वारा की गई सेवाओं का भुगतान मासिक किया जावेगा। माह की समाप्ति पर अनुबन्धकर्ता बिल विभाग को प्रस्तुत करेगा। भुगतान के लिये वर्क बुक, प्रमाणित स्लीप आदि साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी।
23. अनुबन्धित मशीनो के किसी भी दिन कार्यशील नही होने पर रु. 200/– प्रतिदिन के हिसाब कटोती की जावेगी एवं तीन दिवस से अधिक मशीन खराब होने पर तुरन्त मशीन बदली जायेगी।
24. बिना कारण बताये मशीनों का अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार आयुक्त, पर्यटन विभाग को होगा। ऐसी स्थिति में अनुबंधित मशीनों ने जितना कार्य हुआ है उतने का ही भुगतान किया जायेगा।
25. यदि अपरिहार्य कारणों से नयी दर संविदाओं का तय किया जाना संभव नहीं हो तो विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तो पर तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकती है
26. सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध अवधि के पूर्व अपनी मशीनो को स्वेच्छा से नहीं हटायेगा, यदि हटाया जाता है तो विभाग में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
27. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसके द्वारा की जावेगी, अन्यथा की स्थिति में विभाग में उपलब्ध प्रतिभूति राशि मे से उपरोक्त बकाया राशि को समायोजित कर लिया जावेगा।
28. संविदा अवधि में संविदा के दोनो पक्षों निविदादाता एवं पर्यटन विभाग के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, पर्यटन द्वारा अथवा उनके द्वारा मनोनित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष दोनों पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त, पर्यटन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं पक्षो को बाध्यकारी होगा।
29. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन होने पर प्रकरण जयपुर स्थित न्यायालय मे ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
30. उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन की दशा मे अनुबन्ध निरस्त कर मशीनो को हटाया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी।
31. उपरोक्त समस्त शर्तो की स्वीकृति के रुप में निविदादाता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुये निविदा प्रस्तुत करनी है।
32. निम्नलिखित मामलों में निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती हैः
    1. बोलीदाता द्वारा चूक होने पर या निर्दिष्ट समय के भीतर संतोषजनक ढंग से पूर्ण आपूर्ति करने में विफल रहने पर, खरीद करने वाली संस्था अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके तहत या कानून के तहत, बोलीदाता की ऐसी चूक के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में निष्पादन सुरक्षा राशि को भुनाने की हकदार होगी; या
    2. यदि बोलीदाता आरटीटीपी अधिनियम की धारा 11 और आरटीटीपी नियमों के अध्याय टप और इस बोली दस्तावेज के तहत बोलीदाताओं के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो बोलीदाता निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
    3. यदि खरीद करने वाली संस्था के निर्णय में आरटीटीपी नियमों के नियम 13 और राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.2(1) एफडी/जीएंडटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.01.2021, 15.01.2021 और 31.03.2021 के अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से लाभकारी स्वामित्व वाले बोलीदाता को राज्य में किसी भी सार्वजनिक खरीद में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें केवल सक्षम प्राधिकारी के ... पूर्व पंजीकरण के बाद ही अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें ...

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स न.–0141–5155100

किया है। खरीद करने वाली संस्था प्रदर्शन सुरक्षा जब्त करने के मामले में उचित समय की सूचना देगी और खरीद करने वाली संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

33. बिल का भुगतान बिल के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र भुगतान किया जायेगा। परन्तु कोषालय से बिल पारित होने पर ही भुगतान संभव होगा।
34. सामान्य वित्तिय लेखा नियमो तथा RTTP एक्ट व नियम मे वर्णित प्रावधानो की पालना की जायेगी।
35. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (बैंक गारंटी/डी.डी./E.G.R.A.S.) वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
36. निविदा में अंकित दरों में नियमानुसार उपापन समिति द्वारा नेगोसियेशन किया जा सकता है।

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तो को पढ लिया, समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबंधित रहेंगे/रहूंगा। मैने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

एस.आर. प्रारूप– ||

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैनें/हमने आपके विभाग में डिजीटल फोटो स्टेट मशीन किराये पर विभाग में स्थापित करने हेतु निवेदन किया है हमारे द्वारा जो भी सूचना उपलब्ध कराई गई है। उसमें किसी भी तरह की सूचना यदि असत्य पाई जाती है। तो इसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, मेरी/हमारी प्रतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समपहृत कर दिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

Annexure–A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than on Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than on Bid; or

f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation: Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

Annexure-B

Declaration by the bidder regarding Qualifications

Declaration by the bidder

In relation to my/our Bid submitted to ...... for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated .... 1/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. **I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity;**
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder Name:

Designation:

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेलः director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

Address:

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

-

The designation and address of the First Appellate Authority is ....

The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13757957

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   1. Official address, if any:
   2. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ....
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer:

Place....................
Date ....

Appellant's Signature:

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation: Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

Annexure D :

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation: Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

VSC/Data F/Tender 2024/

RajKaj Ref No.: 13757957

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding Document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last rate contract. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance rate contract by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than on Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

(i) As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid
Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष–0141–2822800 ई–मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in फैक्स नं.–0141–5155100

फोटो स्टेट मशीन मय ऑपरेटर उपलब्ध कराने बाबत

1. निविदादाता का नाम एवं पत्राचार का स्थायी पता: ——————————————————————————————————
2. निविदादाता का दूरभाष संख्या—————————— मोबाईल सं. ————————————————
3. निमित्तः– आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. फोटो स्टेट की दरें निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	कागज की साईज	दर प्रति कॉपी समस्त कर एवं व्यय सहित
1.	ए–4 साईज (एक तरफ)	
2.	ए–4 साईज (दोनो तरफ)	
3.	एफ–एस साईज (एक तरफ)	
4.	एफ–एस साईज (दोनो तरफ)	
5.	ए–3 साईज (एक तरफ)	
6.	ए–3 साईज (दोनो तरफ)	
7.	स्पायरल बाईण्डिंग ए–4 (100 पेज)	
8.	स्पायरल बाईण्डिंग एफ–एस /बुक बाईण्डिंग(100 पेज)	
9.	कलर फोटो कॉपी, साईज–ए–4	
10.	कलर फोटो कॉपी, साईज–ए–3	
11.	कलर फोटो कॉपी, साईज–एफ–एस	
12.	कलर प्रिन्ट आउट	
13.	ब्लेक प्रिन्ट आउट	
14.	लेमिनेशन	

6. दरें सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित करके दी जानी है।
7. अंकित दरों में मशीन पर मशीनमैन की सुविधा एवं मशीनों का रख–रखाव, कागज एवं अन्य कन्जूमेबिल सम्मिलित होगा। इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं होगा।
8. पैन ड्राईव से प्रिन्ट निकालना होगा।
9. आयकर स्थाई लेखा संख्या (पैन नं.) संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by Anand Kumar Tripathi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.21 15:14:53 IST
Reason: Approved